आवश्यक/महत्वपूर्ण

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 5/2001/2014-5/20/2004 लखनऊ दिनांकः 20 नवम्बर,2014

विषयःग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्मित शौचालय के अनुरक्षण एवं रखरखाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के हस्ताक्षर से निर्गत पंचायतीराज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासनादेश संख्याः 2856/33-3-2014-154/2014 दिनांक 17 नवम्बर, 2014 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्मित शौचालय को क्रियाशील बनाये रखने के लिए निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायतों को 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग जहां कहीं आवश्यक हो, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शौचालयों की मरम्मत हेतु भी किया जाएगा।

वर्तमान में मरम्मत योग्य शौचालय की मरम्मत का कार्य दो माह में अभियान चलाकर पूर्ण किया जाना है। अतः इस कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने के लिए निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैः-

(1)-शासनादेश दिनांक 17.11.2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मरम्मत योग्य विद्यालयों की सूचना संबंधित प्रधानाध्यापक के माध्यम से ग्राम प्रधान को उपलब्ध करायी जानी है। इस संबंध में विकास खण्ड में तैनात सहायक विकास अधिकारी(पं0) को निर्देशित किया जाय कि वे उक्त व्यवस्था के अनुरूप एक पक्ष में अपने विकास खण्ड के अन्तर्गत मरम्मत योग्य शौचालयों की सूची प्राप्त करें। (ADO पं०)

(2)-आवश्यकतानुसार मरम्मत का आगणन तैयार कराते हुए, सक्षम स्तर से उसकी स्वीकृति प्राप्त कर, ग्राम पंचायत के खाते में उपलब्ध 13वें वित्त आयोग की धनराशि से शौचालय की मरम्मत कराने का कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से सुनिश्चित करायें।

(3)-जनपद स्तर पर मरम्मत योग्य शौचालयों की सूची जिला पंचायत राज अधिकारी तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जाय।

(4)-जिला पंचायत राज अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी संयुक्त रूप से विद्यालयों में निर्मित शौचालयों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए उक्त संदर्भित शासनादेश से निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। दोनों अधिकारी इसकी प्रगति का सतत रूप से अनुश्रवण भी करेंगे।

(5)–जिला पंचायत राज अधिकारी विद्यालयों में निर्मित शौचालयों के मरम्मत के कार्य की प्रगति पाक्षिक रूप से संलग्न रूपपत्र पर निदेशक, पंचायतीराज को उपलब्ध करायेंगे।

(7)–ग्रामीण क्षेत्र में तैनात सफाई कर्मियों को स्कूल शौचालयों के सफाई का दायित्व सौपा गया है। अतः सफाई कर्मियों द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन स्कूल शौचालयों की सफाई सुनिश्चित कराने का दायित्व ग्राम पंचायत/जिला पंचायत राज अधिकारी का होगा। यदि किसी स्तर से यह शिकायत प्राप्त होती है कि सफाई कर्मी द्वारा स्कूल शौचालयों की साफ–सफाई नहीं की जा रही है तो उसके विरूद्ध तत्काल अनुशासनिक कार्यवाही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(8)–सहायक विकास अधिकारी (पं0), जिला पंचायत राज अधिकारी, मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) भी अपने निरीक्षणों में स्कूल शौचालयों की सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण भी करेंगे।

कृपया उक्त का परिपालन कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

संलग्नकःउपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,

संख्याः5/2001/1/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1–प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2–प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3–प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4–प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
5–प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6–निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
7–आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
8–परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
9–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
10–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
11–समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
12–समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
13–समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
14–राज्य प्रतिनिधि यूनीसेफ, लखनऊ, उ0प्र0।

20.11.14

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,